18/11/25

प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की आवेदन व तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से सहमत है व मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दर्ज किये जाने का आदेश किये जाने हेतु निवेदन किया गया, निर्णयार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशिका से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (signature) सहायक कलक्टर (SDO) नावां	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–279 / 2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. मानाराम पुत्र चुतराराम 2. मगाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी माडपुरा पुराना गांव, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बालोतरा।		1. जोगाराम पुत्र वीरमाराम 2. हड़ूमान उर्फ हेमंत पुत्र वीरमाराम 3. रेखो पत्नी वीरमाराम 4. धर्माराम पुत्र नरसींगाराम 5. भारुराम पुत्र नरसींगाराम 6. खेताराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी माडपुरा पुराना गांव, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बालोतरा। 7. तहसीलदार बायतु जिला बालोतरा।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

दिनांक :–18.11.2025

उपस्थिति :– 1. अधिवक्ता रामचन्द्र सऊ प्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामचन्द्र सऊ ने एक प्रार्थना[illegible]त धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर[illegible]तेदारी की भूमि मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के [illegible]सरा नम्बर 503 / 379 रकबा 4.5385 हेक्टेयर की आई हुई है। उक्त भुमि का मूल खसरा नम्बर 379 [illegible] प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य आपसी सहमती बंटवाड़ा करवाये जाने के कारण उक्त खसरा 6 टुकड़ों [illegible] विभक्त होकर प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

खेत खसरा नम्बर 503/379 रकबा 4.5385 एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 504/379, 505/379, 506/379, 508/379, 507/379 रकबा क्रमशः 4.5385, 4.5385, 4.5385, 8.9152, 9.0770 में विभक्त हुआ। उक्त बंटवारे में तैयार किया गया नक्शा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार नही होने से लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम वहां से भिन्न स्थान पर कर दी गई। लेकिन लट्ठा ट्रेश में तरमीम करते समय वादग्रस्त खेतों के मौके व कब्जे अनुसार न करके अलग कर दी गई। अतः तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ब व वर्तमान कब्जा अनुसार तरमीम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बालोतरा में प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 503/379 रकबा 4.5385 एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 504/379, 505/379, 506/379, 508/379, 507/379 रकबा क्रमशः 4.5385, 4.5385, 4.5385, 8.9152, 9.0770 की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब व वर्तमान कब्जे के अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम दुरस्त करें।

आदेश आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:57 IST
Reason: SelfAttested